

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-21

जिसका उत्तर 20 जुलाई, 2021 को दिया जाना है।

‘डिस्कॉम’ को मजबूत बनाया जाना

***21. श्री महेश पोद्दार:**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में बिजली वितरण कंपनियों के लिए पंचवर्षीय सुधार पर आधारित परिणाम से जुड़ी योजना को मंजूरी दी गई है जिसके तहत ‘डिस्कॉम’ को उनकी व्यवस्था मजबूत करने के लिए धन दिया जाएगा;

(ख) क्या इस योजना के तहत ‘डिस्कॉम’ के लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उज्ज्वल ‘डिस्कॉम’ आश्वासन योजना (उदय) के तहत राज्यों और डिस्कॉम को दी गई सहायता और उसके परिणामों की समीक्षा की है; और

(घ) यदि हां, तो उदय योजना के तहत खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों या ‘डिस्कॉम’ के लिए नई योजना में क्या प्रावधान किए गए हैं?

उत्तर

**विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)**

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"डिस्कॉम को मजबूत बनाया जाना" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 20.07.2021 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 21 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) : केंद्रीय सरकार ने हाल ही में वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए 3,03,758 करोड़ रुपये के परिव्यय और भारत सरकार से 97,631 करोड़ रुपये की सकल बजटीय सहायता के साथ संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम - सुधार-आधारित एवं परिणाम-संबद्ध स्कीम का अनुमोदन किया है। यह स्कीम वितरण कंपनियों (डिस्कॉमों) को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनकी आधुनिकीकरण की योजना तैयार करने में योगदान देने हेतु बनाई गई है। दूसरा, इस स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता डिस्कॉमों में किए जाने वाले सुधारों की शर्त पर देने का प्रावधान है। यह स्कीम पूर्व-निर्धारित मानदंडों के साथ-साथ पूर्व-सहमत मूल्यांकन फ्रेमवर्क के आधार पर मूल्यांकित किए गए न्यूनतम मानदंड प्राप्त करने वाले डिस्कॉमों (निजी डिस्कॉमों के अतिरिक्त) को आपूर्ति अवसंरचना के सुदृढीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए उनकी प्रचालनात्मक दक्षताओं और वित्तीय संधारणीयता में सुधार करने का प्रयास करती है। इस स्कीम का उद्देश्य वर्ष 2024-25 तक एटीएंडसी हानियों को कम करके 12 से 15% तक के अखिल भारतीय स्तरों पर लाना और एसीएस-एआरआर अंतर को शून्य तक लाना है।

(ख) : इस स्कीम के अंतर्गत, पात्र डिस्कॉमों को वितरण अवसंरचना के उन्नयन के लिए तथा नेटवर्क के लिए स्मार्ट मीटरिंग प्रणालियों के साथ-साथ उपभोक्ताओं के लिए प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग प्रणाली हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग और सिस्टम मीटरिंग के अलावा अन्य कार्यों के लिए वित्तपोषण, ऐसे डिस्कॉमों पर निर्भर करेगा, जो पूर्व-निर्धारित मानदंड को पूरा करते हैं तथा हानि में कमी लाने की कार्य योजनाओं के आधार पर तैयार किए गए परिणाम मूल्यांकन मैट्रिक्स में कम से कम 60% अंक प्राप्त करते हैं और जिन डिस्कॉमों की कार्य-योजनाएं भारत सरकार द्वारा अनुमोदित हैं। पूर्व-निर्धारित शर्तों और परिणाम मूल्यांकन मैट्रिक्स का विवरण **अनुबंध-1** पर संलग्न है।

(ग) : भारत सरकार ने उदय के अंतर्गत सहभागी राज्यों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया है। अखिल भारतीय स्तर पर सकल तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियां वित्त वर्ष 2015-16 में 23.70% से घटकर वित्तीय वर्ष 2019-20 में 21.83% हो गई हैं। औसत आपूर्ति लागत (एसीएस) और औसत

राजस्व प्राप्त (एआरआर) के बीच का अंतर वित्त वर्ष 2015-16 में 0.47 रुपए प्रति यूनिट से घटकर वित्त वर्ष 2019-20 में 0.28 रुपए प्रति यूनिट हो गया है। एटी एंड सी हानियों और एसीएस-एआरआर अंतर का राज्य-वार विवरण क्रमशः **अनुबंध-II** और **अनुबंध-III** पर संलग्न है।

(घ) : निजी क्षेत्र की विद्युत कंपनियों को छोड़कर सभी राज्य-स्वामित्व की वितरण कंपनियां और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विद्युत विभाग (सामूहिक रूप से डिस्कॉमों के रूप में संदर्भित) संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम के तहत वित्तीय सहायता के लिए पात्र होंगे। कोई डिस्कॉम जो घाटे में चल रहा है, इस स्कीम के तहत निधियां पाने के लिए तब तक सक्षम नहीं होगा जब तक कि वह हानियों को कम करने की योजना तैयार नहीं करता है, ऐसी हानियों को कम करने के लिए किए जाने वाले उपायों को सूचीबद्ध नहीं करता है, उनकी समय-सारणी तैयार नहीं करता है, इसके लिए अपनी राज्य सरकार की मंजूरी प्राप्त नहीं करता है और इसे केंद्र सरकार को प्रस्तुत नहीं करता है। यह स्कीम सभी को समान दृष्टिकोण रखने की अपेक्षा नहीं रखती है, अपितु सहभागी डिस्कॉमों को सुधारों और परिणामों के लिए अपनी कार्य-योजनाओं के साथ-साथ उनके विशिष्ट आवश्यकता आकलन और समस्याओं के आधार पर उनके बुनियादी ढांचे के निर्माण की कार्य-योजना तैयार करने की अनुमति देती है। इस स्कीम के तहत, हानि कम करने के कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी और प्रचालन और वित्तीय, दोनों तरह की हानियों में कमी लाने के लिए ट्रेजेक्ट्रियों पर राज्यों, डिस्कॉमों और भारत सरकार के बीच आपसी सहमति बनाई जाएगी। यदि डिस्कॉम, खराब प्रदर्शन करने वाले डिस्कॉमों सहित, सुधार के लिए पारस्परिक रूप से सहमत लक्ष्यों और ट्रेजेक्ट्री को प्राप्त करता है, तो भारत सरकार से इस स्कीम के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

"डिस्कॉम को मजबूत बनाया जाना" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 20.07.2021 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 21 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (ख) में उल्लिखित अनुबंध।

संशोधित सुधार-आधारित एवं परिणाम-संबद्ध स्कीम के अंतर्गत पूर्व-निर्धारित मानदंड और परिणाम मूल्यांकन मैट्रिक्स

पूर्व-निर्धारित शर्तें:

- i. डिस्कॉम योजना के संचालन के पहले दो वर्षों (अर्थात् वित्तीय वर्ष 2021-22 और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए) के दौरान प्रत्येक तिमाही के अंत के 60 दिनों के भीतर त्रैमासिक अनंकेक्षित लेखों को प्रकाशित करेंगे और उसके बाद तीसरे वर्ष से 45 दिनों के भीतर त्रैमासिक लेखापरीक्षित लेखों को प्रकाशित करेंगे।
- ii. डिस्कॉम योजना के संचालन के पहले दो वर्षों (अर्थात् वित्तीय वर्ष 2021-22 और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए) के दौरान अगले वर्ष के दिसंबर के अंत तक लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों को प्रकाशित करेंगे और उसके बाद अगले तीसरे वर्ष के सितंबर के अंत तक लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों को प्रकाशित किया जाएगा।
- iii. डिस्कॉम सुनिश्चित करेगी कि नवीनतम टैरिफ निर्धारण चक्र में कोई नई विनियामक परिसंपत्तियां सृजित नहीं की गई हैं।
- iv. राज्य सरकार पिछले वर्ष के लिए सब्सिडी का 100% भुगतान सुनिश्चित करना और विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 65 के अनुरूप वर्तमान अवधि तक सब्सिडी के अग्रिम भुगतान को सुनिश्चित करना और परियोजना अवधि के अंत तक शेष सब्सिडी धनराशि का समापन करना।
- v. सभी सरकारी विभाग/अधीनस्थ कार्यालयों/स्थानीय निकायों ने मूल्यांकन के तहत वर्ष के लिए वर्तमान विद्युत देय राशियों का 100% भुगतान किया है।
- vi. सरकारी कार्यालयों में प्रीपेड मीटर लगाए जाने की प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रगति।
- vii. मूल्यांकन के तहत वर्ष के लिए लेनदारों को भुगतानों के दिनों की संख्या परिणाम मूल्यांकन ढांचे के अनुसार अनुमानित ट्रेजेक्ट्री के बराबर या उससे कम है।

- viii. चालू वर्ष के लिए टैरिफ आदेश जिसमें मूल्यांकन किया जा रहा है और उपांतिम वर्ष की अवधि का दू-अप जारी किया गया है और चालू वित्त वर्ष की पहली अप्रैल से लागू किया गया है।

जिन यूटिलिटियों ने पूर्व निर्धारण मानदंडों के शर्तों को पूरा किया है, वे परिणाम मूल्यांकन मैट्रिक्स के अनुरूप मूल्यांकन की पात्र होंगी, जो कि किसी विशेष वर्ष में निधियां जारी करने की अपनी पात्रता को निर्धारित करेंगी। प्रत्येक वर्ष में प्रत्येक डिस्कॉम के लिए परिणाम मूल्यांकन कार्य ढांचा अलग होगा और इसका निर्धारण संचयी कार्य-निष्पादन के साथ-साथ वार्षिक कार्य-निष्पादन के आधार पर होगा।

परिणाम मूल्यांकन मैट्रिक्स

परिणाम मानदंडों की चार मूल श्रेणियों की पहचान की गई है और प्रत्येक श्रेणी के लिए निर्धारित भारिता निम्नानुसार है:-

क्रम सं.	श्रेणी	मूल्यांकन हेतु भारिता
1.	वित्तीय स्थिरता	60
2.	अवसंरचना कार्यों के परिणाम	20
3.	अवसंरचना कार्य	10
4.	नीति एवं संरचनात्मक सुधार, क्षमता निर्माण तथा आईटी/ओटी सक्षमीकरण	10
	कुल	100

उपरोक्त में से प्रत्येक श्रेणियों के तहत, मैट्रिक्स में परिणाम मानदंड होंगे, जिन्हें योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में सहमत प्राथमिकता/महत्व के आधार पर अधिकतम अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक मूल्यांकन वर्षों के लिए व्यक्तिगत मानदंडों के लिए अधिकतम अंक और लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं।

विशेष वर्ष के लिए निधियां तभी जारी की जाएंगी जब यूटिलिटी पूर्व-निर्धारित मानदंड पूरे कर लेती है तथा उनका कुल भारिता स्कोर मूल्यांकन मैट्रिक्स में 60 अंकों से अधिक होगा।

अनुबंध-II

"डिस्कॉम को मजबूत बनाया जाना" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 20.07.2021 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 21 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (ग) में उल्लिखित अनुबंध।

क्र.सं.	राज्य	बुक की गई टैरिफ सब्सिडी के आधार पर अंतर (रु./केडब्ल्यूएच)	
		2015-16	2019-20
1	आंध्र प्रदेश	0.79	0.02
2	अरुणाचल प्रदेश	0.49	4.92
3	असम	0.13	(0.19)
4	बिहार	0.46	0.93
5	छत्तीसगढ़	(0.01)	0.29
6	दिल्ली	(0.10)	(0.38)
7	गोवा	0.71	0.60
8	गुजरात	(0.03)	(0.06)
9	हरियाणा	0.16	(0.06)
10	हिमाचल प्रदेश	0.01	(0.01)
11	जम्मू एवं कश्मीर	3.00	1.85
12	झारखंड	0.93	0.89
13	कर्नाटक	0.06	0.28
14	केरल	0.30	0.10
15	मध्य प्रदेश	0.88	0.24
16	महाराष्ट्र	0.29	(0.03)
17	मणिपुर	0.02	0.08
18	मेघालय	0.82	1.80
19	मिजोरम	2.06	1.21
20	नागालैंड	0.20	5.62
21	ओडिशा	0.39	0.34
22	पुदुचेरी	(0.03)	0.95
23	पंजाब	0.34	0.21
24	राजस्थान	1.61	(0.36)
25	सिक्किम	2.09	0.50
26	तमिलनाडु	0.67	1.27
27	तेलंगाना	0.68	0.96
28	त्रिपुरा	0.42	0.29
29	उत्तर प्रदेश	0.29	0.34
30	उत्तराखंड	0.10	0.38
31	पश्चिम बंगाल	(0.00)	(0.13)
	राष्ट्रीय	0.47	0.28

अनुबंध-III

"डिस्कॉम को मजबूत बनाया जाना" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 20.07.2021 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 21 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (ग) में उल्लिखित अनुबंध।

क्र.सं.	राज्य	एटीएंडसी हानि (%)	
		2015-16	2019-20
1	आंध्र प्रदेश	10.36	10.77
2	अरुणाचल प्रदेश	54.58	45.71
3	असम	26.02	23.37
4	बिहार	43.30	40.38
5	छत्तीसगढ़	22.10	27.93
6	दिल्ली	12.44	10.30
7	गोवा	19.77	13.99
8	गुजरात	16.23	11.95
9	हरियाणा	29.27	18.19
10	हिमाचल प्रदेश	9.68	11.68
11	जम्मू एवं कश्मीर	58.75	60.46
12	झारखंड	33.34	36.96
13	कर्नाटक	17.13	17.59
14	केरल	12.40	14.47
15	मध्य प्रदेश	27.37	30.38
16	महाराष्ट्र	21.74	19.92
17	मणिपुर	31.72	20.27
18	मेघालय	45.98	34.32
19	मिजोरम	35.18	20.66
20	नागालैंड	33.44	52.93
21	ओडिशा	38.60	28.94
22	पुदुचेरी	22.43	20.00
23	पंजाब	15.88	14.35
24	राजस्थान	31.59	29.70
25	सिक्किम	43.89	28.88
26	तमिलनाडु	16.83	15.00
27	तेलंगाना	14.01	23.94
28	त्रिपुरा	32.68	37.85
29	उत्तर प्रदेश	39.76	30.05
30	उत्तराखंड	18.01	20.35
31	पश्चिम बंगाल	28.08	20.40
	राष्ट्रीय	23.70	21.83

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-23

जिसका उत्तर 20 जुलाई, 2021 को दिया जाना है।

साइबर हमलों से पावर ग्रिड की रक्षा किया जाना

*23. श्री अखिलेश प्रसाद सिंह:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने देश की ऊर्जा आपूर्ति ग्रिड पर साइबर हमलों के जोखिम का पता लगाने हेतु कोई अध्ययन कराया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ख) विगत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पावर ग्रिड पर कितने साइबर हमले हुए हैं तथा इन हमलों और ऊर्जा आपूर्ति प्रणाली में पाए गए मालवेयर के मामलों और उनके स्रोतों का ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या कुछ राज्यों को उक्त साइबर हमलों के कारण इलेक्ट्रिसिटी ब्लैकआउट या बिजली की भारी कटौती की समस्या का सामना करना पड़ा; और
- (घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच करायी है और इस बारे में विशेषतः बिहार में क्या उपाय किए गए हैं या किए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

"साइबर हमलों से पावर ग्रिड की रक्षा किया जाना" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 20.07.2021 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 23 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) : सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम, 2008 के अनुसार, देश में साइबर घटनाओं की सूचना के संग्रहण, विश्लेषण और प्रसारण के लिए भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (सीईआरटी-इन) को राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। सीईआरटी-इन नवीनतम साइबर खतरों/अरक्षितताओं तथा नियमित आधार पर कम्प्यूटरों और नेटवर्कों को सुरक्षित रखने के लिए प्रत्युपायों से संबंधित चेतावनियों तथा एडवाइजरियां भी जारी करते हैं। इसके अतिरिक्त, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 की धारा 70 क के प्रावधानों के अनुसार, सरकार ने देश में महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना को रक्षा के लिए राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केन्द्र (एनसीआईआईपीसी) की स्थापना की है। विद्युत मंत्रालय (एमओपी) क्षेत्रीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (सीईआरटी) नामतः सीईआरटी-तापीय, सीईआरटी-जल, सीईआरटी-वितरण, सीईआरटी-पारेषण, सीईआरटी-ग्रिड संचालन, सीईआरटी-आरई आदि की स्थापना की है ताकि साइबर हमलों से देश की विद्युत प्रणाली की भेद्यता की पहचान की जा सके।

(ख) : हाल ही में, विभिन्न एजेंसियों से कुछ असफल साइबर हमलों की सूचना प्राप्त हुई है। ऐसी सूचना प्राप्त होने पर संबंधित संगठन द्वारा पृथक्करण तथा अन्य अनुपालन उपायों के लिए तत्काल कार्यवाही की जाती है। उदाहरण के लिए, पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन (पोसोको) के दक्षिण क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्र (एसआरएलडीसी), पश्चिमी क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्र (डब्ल्यूआरएलडीसी), उत्तर क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्र (एनआरएलडीसी) तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्र (एनईआरएलडीसी), एनटीपीसी कुडगी और तेलंगाना राज्य ट्रांस्को में साइबर घटनाएं सूचित की गई हैं। इन संगठनों द्वारा आवश्यक पृथक्करण और अन्य सुरक्षा उपाय किए गए हैं।

(ग) : जी नहीं।

(घ) : जी हां।

दिनांक 12 अक्टूबर, 2020 को मुंबई, महाराष्ट्र में भारी विद्युत कटौती की घटना हुई। विद्युत मंत्रालय के निदेशानुसार, साइबर अपराध के दृष्टिकोण से तथ्यान्वेषण के लिए एक समिति का गठन किया गया था। समिति की रिपोर्ट के अनुसार, दिनांक 12.10.2020 की मुंबई ग्रिड घटना को एक साइबर

हमला साबित करने के लिए कोई निर्णायक सबूत प्राप्त नहीं हुआ। सरकार, बिहार सहित देशभर के विद्युत क्षेत्र में साइबर हमलों को रोकने तथा साइबर सुरक्षा की स्थिति को मजबूत करने के लिए विभिन्न उपाय कर रही है, जो निम्नानुसार हैं :

- (i) भारत सरकार ने मौजूदा और संभावित साइबर सुरक्षा खतरों के संबंध में आवश्यक स्थितिपरक जागरूकता उत्पन्न करने के लिए राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र (एनसीसीसी) की स्थापना की है।
- (ii) विद्युत मंत्रालय द्वारा दिनांक 02.07.2020 को आदेश सं. 25-11/6/2018-पीजी जारी किया गया जिसके अनुसार देश में विद्युत आपूर्ति प्रणाली एवं नेटवर्क में उपयोग किए जाने के लिए आयात किए गए सभी उपस्कर, संघटकों और पुर्जों में किसी भी प्रकार के अंतर्निहित मालवेयर/ट्रॉजन/साइबर खतरों की जांच और भारतीय मानकों के अनुपालन की जांच की जानी चाहिए।
- (iii) विद्युत मंत्रालय द्वारा ताप, जल, पारेषण, ग्रिड संचालन, वितरण तथा नवीकरणीय ऊर्जा उप-क्षेत्र के लिए कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दलों (सीईआरटी) का गठन किया गया है।
- (iv) प्रमुख संगठनों और क्षेत्रीय सीईआरटी को होने वाले साइबर हमलों को रोकने तथा प्रत्युपायों के लिए सीईआरटी-इन और एनसीआईआईपीसी, आईबी और गृह मंत्रालय द्वारा नियमित रूप से चेतावनी और सलाह जारी की जा रही है।
- (v) विद्युत क्षेत्रों की यूटिलिटियों द्वारा सीईआरटी-इन के सहयोग से नियमित आधार पर साइबर सुरक्षा मॉक ड्रिल संचालित की जा रही है।
- (vi) सीईआरटी-इन, आईटी और ओटी अवसंरचना को सुरक्षित रखने तथा साइबर हमलों को कम करने के लिए विद्युत क्षेत्र की सभी यूटिलिटियों के नेटवर्क/सिस्टम प्रशासकों और मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों (सीआईएसओ) के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करता है।
- (vii) विद्युत मंत्रालय ने विद्युत क्षेत्र की सभी यूटिलिटियों को सीईआरटी-इन के साइबर स्वच्छता केंद्र (बोटनेट क्लीनिंग एंड मालवेयर एनालिसिस सेंटर) पर ऑन-बोर्ड होने का निर्देश दिया है।
- (viii) विद्युत क्षेत्र की सभी यूटिलिटियों को साइबर हमलों से निपटने के लिए साइबर आपदा प्रबंधन योजना (सीसीएमपी) तैयार करने तथा उसे लागू करने के लिए कहा गया है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-28

जिसका उत्तर 20 जुलाई, 2021 को दिया जाना है।

ग्रामीण विद्युतीकरण

28. प्रो. मनोज कुमार झा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 'विद्युतीकृत ग्राम' की परिभाषा क्या है;

(ख) क्या सरकार की एक गांव के 100 प्रतिशत घरों के विद्युतीकरण को इसके अंतर्गत शामिल करने के लिए इस परिभाषा में संशोधन करने की योजना है;

(ग) उन घरों की संख्या से संबंधित राज्य-वार आंकड़े क्या हैं, जिनमें बिजली की निर्बाध उपलब्धता नहीं है या जिनमें चौबीसों घंटे बिजली की आपूर्ति नहीं होती;

(घ) घरों को राज्य-वार औसतन कितने घंटे बिजली की आपूर्ति होती है; और

(ङ) क्या उपरोक्त उल्लिखित आंकड़े दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ङ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"ग्रामीण विद्युतीकरण" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 20.07.2021 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 28 के भाग (क) से (ड) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख) : ग्रामीण विद्युतीकरण नीति, 2006 के अनुसार, किसी भी गांव को विद्युतीकृत गांव तभी कहा जाएगा यदि

- (i) समाज के कमजोर वर्गों द्वारा आवासित इलाकों/पुरवा, जहां ये स्थित हैं, के साथ-साथ आवासित इलाकों में वितरण ट्रांसफार्मर और वितरण लाइनों जैसी मूलभूत अवसंरचना दी जा चुकी है;
- (ii) स्कूलों, पंचायत कार्यालयों, स्वास्थ्य केंद्रों, डिस्पेंसरियों, सामुदायिक केंद्रों इत्यादि जैसे सार्वजनिक स्थानों में विद्युत पहुंचा दी गई है; और
- (iii) गांवों के कुल घरों के कम से कम 10 प्रतिशत घर विद्युतीकृत होने चाहिए।

तथापि, 11.10.2017 को प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना - सौभाग्य की शुरुआत के बाद, गांवों के विद्युतीकरण की यह परिभाषा प्रासंगिक नहीं है। यह स्कीम मार्च, 2019 तक देश में ग्रामीण क्षेत्रों के सभी इच्छुक गैर-विद्युतीकृत घरों और शहरी क्षेत्रों के सभी इच्छुक गरीब घरों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराकर सार्वभौमिक घरों का विद्युतीकरण प्राप्त करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार, सभी राज्यों ने 100 प्रतिशत घरों के विद्युतीकरण की सूचना दी है। सौभाग्य स्कीम शुरू होने के बाद से 31.03.2021 तक 2.817 करोड़ घरों को विद्युतीकृत कर दिया गया है।

(ग) से (ड) : विद्युत एक समवर्ती सूची का विषय है और विद्युत की आपूर्ति/वितरण एवं संबंधित प्रकार्यों का प्रबंधन संबंधित राज्य सरकार/वितरण यूटिलिटी द्वारा किया जाता है। सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटीज) ने सभी घरों, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 25X7 विद्युत आपूर्ति तथा कृषीय उपभोक्ताओं को विद्युत की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय सरकार के साथ समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में एचटी एवं एलटी लाइनों के निर्माण, वितरण ट्रांसफार्मरों, फीडरों एवं उपभोक्ताओं की मीटरिंग और फीडर पृथक्करण सहित उप-पारेषण एवं वितरण अवसंरचना के सुदृढीकरण तथा संवर्धन के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए दिसंबर, 2014 में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) शुरू की गई थी। इस स्कीम और एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस), प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना तथा उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) जैसी भारत सरकार की अन्य स्कीमों ने सभी घरों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने के उद्देश्य को हासिल करने में राज्यों की सहायता की है। अनेक राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों ने नियोजित कठौतियों और अप्रत्याशित घटनाओं के कारण अवरोधों के अलावा 24X7 विद्युत आपूर्ति का दावा किया है। राष्ट्रीय विद्युत पोर्टल (एनपीपी) के अनुसार ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति का राज्य-वार ब्यौरा क्रमशः अनुबंध-I एवं अनुबंध-II में दिया गया है।

अनुबंध-1

"ग्रामीण विद्युतीकरण" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 20.07.2021 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 28 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (ग) से (ड) में उल्लिखित अनुबंध।

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मई, 2021 माह के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में एक दिन में विद्युत आपूर्ति की औसत अवधि (घण्टा:मिनट)
1	आंध्र प्रदेश	23.58
2	अरुणाचल प्रदेश	20.00
3	असम	21.00
4	बिहार	22.14
5	छत्तीसगढ़	22.70
6	गोवा	24.00
7	गुजरात	24.00
8	हरियाणा	20.41
9	हिमाचल प्रदेश	24.00
10	झारखंड	19.62
11	कर्नाटक	20.26
12	केरल	24.00
13	मध्य प्रदेश	23.50
14	महाराष्ट्र	24.00
15	मणिपुर	21.05
16	मेघालय	22.38
17	मिजोरम	17.06
18	नागालैंड	21.00
19	ओडिशा	22.82
20	पंजाब	24.00
21	राजस्थान	22.00
22	सिक्किम	17.50
23	तमिलनाडु	24.00
24	तेलंगाना	24.00
25	त्रिपुरा	23.50
26	उत्तर प्रदेश	17.43
27	उत्तराखंड	23.90
28	पश्चिम बंगाल	24.00
29	अंडमान एवं निकोबार	22.40
30	चंडीगढ़	24.00
31	दादर नगर हवेली	24.00
32	जम्मू एवं कश्मीर	15.00
33	लद्दाख	23.00
34	नई दिल्ली	24.00
35	पुदुचेरी	24.00
36	लक्षद्वीप	24.00

टिप्पणी: *मई माह के लिए डेटा प्रदान नहीं किया गया था, इसलिए पहले प्रदान किए गए डेटा को शामिल किया गया है।

अनुबंध-II

"ग्रामीण विद्युतीकरण" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 20.07.2021 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 28 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (ग) से (ङ) में उल्लिखित अनुबंध।

क्र.सं.	राज्य	मार्च, 2021 माह के लिए शहरी क्षेत्रों में एक दिन में विद्युत आपूर्ति की औसत अवधि (घण्टा:मिनट)
1	आंध्र प्रदेश	23:54
2	अरुणाचल प्रदेश	23:00
3	असम	23:27
4	बिहार	23:42
5	छत्तीसगढ़	23:51
6	गोवा	23:49
7	गुजरात	23:57
8	हरियाणा	23:41
9	हिमाचल प्रदेश	23:51
10	जम्मू एवं कश्मीर	21:46
11	झारखंड	23:56
12	कर्नाटक	23:52
13	केरल	23:52
14	मध्य प्रदेश	23:55
15	महाराष्ट्र	23:56
16	मणिपुर	23:40
17	मेघालय	23:50
18	मिजोरम	23:54
19	नागालैंड	23:27
20	पंजाब	23:43
21	राजस्थान	23:51
22	तेलंगाना	23:55
23	त्रिपुरा	23:54
24	उत्तर प्रदेश	23:38
25	उत्तराखंड	23:45
26	पश्चिम बंगाल	23:51

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-303

जिसका उत्तर 20 जुलाई, 2021 को दिया जाना है।

विद्युत क्षेत्र में योजनाएं/कार्यक्रम

303. श्री इरण्ण कडाडि:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विभिन्न राज्यों में विद्युत क्षेत्र में लागू की गई/शुरू की योजनाओं/कार्यक्रमों का कर्नाटक सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस हेतु आबंटित, संस्वीकृत जारी तथा उपयोग में लाई गई निधि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य समेत देश के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में विद्युत सुविधा से वंचित घरों की श्रेणी-वार संख्या क्या है; और
- (घ) विगत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में विद्युतीकृत गांवों की कुल संख्या कितनी है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : विभिन्न राज्यों में विद्युत क्षेत्र में निम्नलिखित स्कीमें/कार्यक्रम प्रस्तावित/आरंभ किए गए हैं:

- I. **एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) :** विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने शहरी क्षेत्रों में विद्युत उप-पारेषण और वितरण नेटवर्क के सुदृढीकरण के लिए 3 दिसंबर, 2014 को "एकीकृत विद्युत विकास स्कीम" (आईपीडीएस) अधिसूचित की। इसके अतिरिक्त, आर-एपीडीआरपी (पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम) स्कीम को आगे बढ़ाया गया था और आईपीडीएस में समाहित किया गया।
- II. **दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई):** भारत सरकार ने कृषि और गैर-कृषि फीडरों के पृथक्करण, उप-पारेषण एवं वितरण अवसंरचना के सुदृढीकरण और संवर्धन, वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग और देश भर के गांवों के विद्युतीकरण सहित विभिन्न ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिए दिसंबर, 2014 में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) शुरू की।
- III. **प्रधानमंत्री सहज विद्युत हर घर योजना (सौभाग्य):** भारत सरकार ने देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी घरों और शहरी क्षेत्रों में सभी गरीब घरों को अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी और विद्युत कनेक्शन प्रदान करके समग्र घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करने के लिए अक्टूबर, 2017 में प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना - "सौभाग्य" शुरू की थी।

- IV. सौभाग्य योजना के तहत किसी भी राज्य/जिले के लिए निधियों का कोई अग्रिम आवंटन नहीं किया गया है। पिछली किशतों में जारी धनराशि के सूचित उपयोग तथा निर्धारित शर्तों को पूरा करने के आधार पर स्वीकृत परियोजनाओं के लिए किशतों में निधियां जारी की जाती हैं।

एकीकृत स्कीमों का कुल मूल्य (राज्य हिस्सा, केंद्रीय हिस्सा तथा ऋण), कर्नाटक राज्य सहित पूर्ण परियोजनाओं की संख्या तथा उनका मूल्य, तथा जारी किए गए केंद्रीय हिस्से का वर्णन निम्नानुसार है:

(क) **अनुबंध-I** पर आईपीडीएस तथा समाहित आर-एपीडीआरपी

(ख) **अनुबंध-II** पर डीडीयूजीजेवाई तथा सौभाग्य

- V. विद्युत मंत्रालय ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा संरक्षण से संबंधित योजनाओं अर्थात् निष्पादन, उपलब्धि और व्यापार (वृहद उद्योगों के लिए); लघु तथा मध्यम उद्यमों (एसएमई) में ऊर्जा दक्षता; उपकरण क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता; भवन क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता; राज्य निर्दिष्ट एजेंसी (एसडीए) के सुदृढीकरण के कार्यान्वयन द्वारा राज्यों के साथ कार्य कर रहा है। इन स्कीमों के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को जारी की गई निधियों का विवरण **अनुबंध-III** में दिया गया है।

- VI. केंद्रीय सरकार ने हाल ही में वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए 3,03,758 करोड़ रुपये के परिव्यय और भारत सरकार से 97,631 करोड़ रुपये की सकल बजटीय सहायता के साथ संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम - सुधार-आधारित एवं परिणाम-संबद्ध स्कीम का अनुमोदन किया है। यह स्कीम पूर्व-निर्धारित मानदंडों के साथ-साथ वित्तीय सुधारों से जुड़े सहमत मूल्यांकन अवसंरचना के आधार पर मूल्यांकन किए गए डिस्कॉम द्वारा मूलभूत न्यूनतम बेंचमार्कों की प्राप्ति के आधार पर विद्युत आपूर्ति अवसंरचना को मजबूत करने के लिए डिस्कॉमों को सशर्त वित्तीय सहायता प्रदान करके निजी क्षेत्र के डिस्कॉमों को छोड़कर सभी डिस्कॉमों/विद्युत विभागों की प्रचालन दक्षता और वित्तीय संधारणीयता में सुधार करने का प्रयास करती है। इस स्कीम का उद्देश्य एटीएंडसी हानियों को वर्ष 2024-25 तक कम करके 12 से 15% तक अखिल भारतीय स्तरों पर और एसीएस-एआरआर अंतर को शून्य लाना है।

- VI. एलईडी कार्यक्रम के दो घटक हैं, अर्थात् (i) घरेलू उपभोक्ताओं को एलईडी बल्ब प्रदान करने हेतु सभी के लिए वहनीय एलईडी द्वारा उन्नत ज्योति (उजाला); और (ii) पारंपरिक स्ट्रीट लाइटों को स्मार्ट और ऊर्जा दक्ष एलईडी स्ट्रीट लाइटों से बदलने के लिए स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम (एसएलएनपी)। एलईडी कार्यक्रम को एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, जो भारत सरकार से किसी भी बजटीय आवंटन के बिना, चार विद्युत क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों अर्थात् एनटीपीसी, पीएफसी, आरईसी और पीजीसीआईएल की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है।

(ग) : दिनांक 31.03.2021 तक सभी राज्यों ने घरों के 100% विद्युतीकरण की सूचना दी है। सौभाग्य की शुरुआत से दिनांक 31.03.2021 तक, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के घरों सहित कुल 2.81 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया है।

(घ) : राज्यों द्वारा सूचित किए गए अनुसार, सभी आवासित गैर-विद्युतीकृत जनगणना गांव 28 अप्रैल, 2018 को विद्युतीकृत हो गए हैं।

राज्य सभा में दिनांक 20.07.2021 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 303 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

सभी राशि करोड़ रुपए में

आईपीडीएस (आर-एपीडीआरपी में समाहित)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या	संस्वीकृत लागत				संवितरण		परियोजना के पूरे होने का विरण		
			स्कीम का कुल मूल्य (संस्वीकृत लागत)	केंद्रीय हिस्सा	राज्य द्वारा ऋण घटक	राज्य हिस्सा	संवितरित केंद्रीय हिस्सा	परियोजनाएं पूरी की गईं	पूर्ण की गई परियोजनाओं का मूल्य	पूर्ण परियोजनाओं के विरुद्ध केंद्रीय अंश जारी किया गया	
1	अंडमान एवं निकोबार	1	18	11	5	2	10	0	0	0	
2	आंध्र प्रदेश	71	1386	829	469	87	763	67	1255	725	
3	अरुणाचल प्रदेश	5	196	172	16	8	103	3	115	57	
4	असम	91	1433	1271	125	37	1149	88	1382	1144	
5	बिहार	86	4139	2267	1561	311	1748	76	3365	1542	
6	छत्तीसगढ़	39	1435	677	697	62	587	36	1333	566	
7	दिल्ली	1	198	119	59	20	90	1	198	90	
8	गोवा	5	164	131	25	8	105	3	113	96	
9	गुजरात	94	2284	1217	955	112	1110	94	2284	1110	
10	हरियाणा	25	667	489	134	45	408	21	631	405	
11	हिमाचल प्रदेश	32	567	510	48	9	466	28	500	438	
12	जम्मू एवं कश्मीर + लद्दाख	51	2342	2105	214	24	1047	9	276	195	
13	झारखंड	47	1940	797	1066	76	703	45	1814	653	
14	कर्नाटक	123	2401	1388	875	137	1308	115	2224	1265	
15	केरल	74	1966	924	975	67	842	71	1895	827	
16	महाराष्ट्र	138	5118	2416	2448	254	2217	133	5087	2201	
17	मणिपुर	173	562	503	53	7	464	172	444	382	
18	मेघालय	18	302	270	27	5	172	15	275	165	
19	मिजोरम	19	367	327	35	6	257	17	346	252	

20	मध्य प्रदेश	14	3762	1778	1811	172	1630	11	3611	1600
21	नागालैंड	5	162	142	14	7	117	3	144	113
22	ओडिशा	41	1577	920	542	115	753	30	1187	556
23	पुद्दुचेरी	3	116	43	70	2	34	2	94	26
24	पंजाब	71	2190	918	1227	45	854	68	2065	795
25	राजस्थान	134	3530	1790	1583	158	1322	126	3352	1297
26	सिक्किम	10	241	210	23	8	114	3	80	73
27	तमिलनाडु	128	4639	1905	2550	184	2067	127	4546	2051
28	तेलंगाना	61	2096	958	1062	75	913	59	2088	912
29	त्रिपुरा	27	399	350	38	11	287	23	299	230
30	उत्तर प्रदेश	255	11821	5532	5725	564	4664	237	11108	4499
31	उत्तराखंड	48	1243	1096	111	36	918	46	1128	878
32	पश्चिम बंगाल	82	3773	2166	1303	304	1897	76	3112	1592
कुल		1972	63035	34232	25845	2958	29120	1805	56351	26736

टिप्पणी -

आईपीडीएस - केंद्रीय हिस्सा भारत सरकार का अनुदान है, आर-एपीडीआरपी - केंद्रीय हिस्सा भारत सरकार का ऋण है (अनुदान में परिवर्तनीय) हो सकता है कि पूरी हो चुकी परियोजना के लिए पूर्ण संवितरण नहीं किया गया हो क्योंकि डिस्कॉम द्वारा परियोजना को अभी तक बंद नहीं किया गया है परियोजना की प्रगति और पहले जारी की गई धनराशि के उपयोग के अनुसार दिशा-निर्देशों के अनुसार संवितरण किया जाता है

अनुबंध-II

राज्य सभा में दिनांक 20.07.2021 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 303 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य - जारी और संस्वीकृति की स्थिति (30.06.2021 तक)

करोड़ रुपए में

क्रम सं.	राज्य	आरई में समाहित^				नई डीडीयूजीजेवाई				डीडीयूजीजेवाई - घरों के विद्युतीकरण के लिए अतिरिक्त इफ़ा				सौभाग्य				बंद परियोजनाओं की लागत	
		संस्वीकृत परियोजना लागत	अनुदान शामिल	राज्य का हिस्सा और ऋण घटक	जारी की गई निधि (अनुदान + ऋण)	संस्वीकृत परियोजना लागत	अनुदान शामिल	राज्य का हिस्सा और ऋण घटक	जारी की गई निधि (अनुदान + ऋण)	संस्वीकृत परियोजना लागत	अनुदान शामिल	राज्य का हिस्सा और ऋण घटक	जारी की गई निधि (अनुदान + ऋण)	संस्वीकृत परियोजना लागत	अनुदान शामिल	राज्य का हिस्सा और ऋण घटक	जारी की गई निधि (अनुदान + ऋण)	बंद परियोजना की संख्या	परियोजनाओं की लागत
1	आंध्र प्रदेश	78	70	8	59	941	565	376	477	-	-	-	-	-	-	-	-	16	563
2	अरुणाचल प्रदेश	170	153	17	84	427	363	64	228	292	248	44	130	323	275	48	153	22	1,195
3	असम	1768	1591	177	1640	1,535	1,305	230	1,024	1,494	1,270	224	1,082	973	827	146	684	27	3,333
4	बिहार	6402	5761	640	4266	7,301	4,381	2,920	3,753	-	-	-	-	926	555	370	468	60	7,682
5	छत्तीसगढ़	730	657	73	443	1,540	924	616	770	84	50	33	39	648	389	259	336	21	1,409
6	गुजरात	15	14	2	13	925	555	370	505	-	-	-	-	-	-	-	-	44	1,010
7	हरियाणा ^s	0	0	0		316	190	126	160	30	18	12	-	18	11	7	3	18	218
8	हिमाचल प्रदेश ^s	35	31	3	19	159	135	24	105	9	7	1	-	6	5	1	4	12	343
9	जम्मू एवं कश्मीर	109	98	11	27	1,046	889	157	213	875	744	131	435	133	113	20	53	11	421
10	झारखंड	1537	1384	154	1199	3,918	2,351	1,567	2,033	1,078	647	431	414	887	532	355	217	18	2,792
11	कर्नाटक	217	195	22	163	1,755	1,053	702	934	127	76	51	68	79	47	31	39	36	1,115
12	केरल	58	52	6	52	485	291	194	239	-	-	-	-	90	54	36	55	14	314
13	लद्दाख	82	74	8	15	116	98	17	47	-	-	-	-	-	-	-	-		
14	मध्य प्रदेश	2356	2120	236	1806	2,891	1,734	1,156	1,387	999	599	399	363	873	524	349	414	61	2,994
15	महाराष्ट्र	85	77	9	69	2,175	1,305	870	1,071	369	221	148	165	406	244	162	198	35	853
16	मणिपुर	283	255	28	176	142	121	21	58	60	51	9	44	121	103	18	86	6	189
17	मेघालय	39	36	4	23	303	258	45	189	381	324	57	254	276	234	41	187	7	467

18	मिजोरम	106	96	11	101	52	45	8	29	32	27	5	15	46	39	7	41	16	394
19	नागालैंड	120	108	12	104	137	116	20	72	28	24	4	18	64	54	10	39	11	270
20	ओडिशा	3784	3405	378	2989	1,750	1,050	700	833	509	305	203	253	525	315	210	245	34	3,924
21	पंजाब					443	266	177	188	-	-	-	-	2	1	1	0	17	184
22	राजस्थान	1525	1372	152	1231	2,909	1,745	1,163	1,336	1,128	677	451	579	663	398	265	280	54	2,214
23	सिक्किम	21	19	2	16	50	42	7	37	37	32	6	25	2	2	0	2	4	218
24	तमिलनाडु	51	46	5	36	924	554	370	456	-	-	-	-	-	-	-	-	29	489
25	तेलंगाना	33	29	3	30	462	277	185	215	-	-	-	-	35	21	14	15	10	314
26	त्रिपुरा	317	285	32	253	74	63	11	40	359	305	54	197	418	355	63	260	9	411
27	उत्तर प्रदेश	10228	9205	1023	8775	6,946	4,168	2,779	3,321	6,290	3,774	2,516	2,469	6,188	3,713	2,475	1,465	141	14,433
28	उत्तराखंड	107	97	11	58	845	718	127	614	-	-	-	-	149	127	22	43	13	760
29	पश्चिम बंगाल	899	809	90	678	4,262	2,557	1,705	2,008	-	-	-	-	259	155	104	123	32	3,029
30	गोवा	-	-	-	-	20	12	8	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	दादरा एवं नगर हवेली	-	-	-	-	5	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	पुदुचेरी	-	-	-	-	20	12	8	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	अंडमान एवं निकोबार	-	-	-	-	21	13	8	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल	31156	28040	3116	24326	44896	28159	16737	22366	14179	9399	4780	6549	14109	9093	5016	5408	778	51538

- टिप्पणी i) \$ हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्य ने अतिरिक्त इन्फ्रा के तहत व्यय किया है, लेकिन चूंकि इसमें शामिल राशि महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए, इन राज्यों ने बंद होने के समय पूरी राशि का दावा करने का निर्णय लिया है।
ii) सौभाग्य के तहत उन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए परियोजनाएं स्वीकृत नहीं की गईं, जिन्होंने पहले ही शत-प्रतिशत घरेलू विद्युतीकरण हासिल कर लिया है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, गोवा, डी एंड एन हवेली और अंडमान निकोबार।
iii) जिन राज्यों में सौभाग्य योजना के तहत घरों के विद्युतीकरण के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचे की आवश्यकता नहीं थी, अतिरिक्त बुनियादी ढांचे के तहत कोई परियोजना स्वीकृत नहीं की गई थी

राज्य सभा में दिनांक 20.07.2021 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 303 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत और जारी की गई धनराशि की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार राशि: (करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2018-19 के दौरान जारी की गई संस्वीकृत निधि	2019-20 के दौरान जारी की गई संस्वीकृत निधि	2020-21 के दौरान जारी की गई संस्वीकृत निधि
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.6178	0.97
2	आंध्र प्रदेश	0.7384	3.0404	3.5583
3	अरुणाचल प्रदेश	0.3700	2.3620	1.2385
4	असम	1.2665	1.8508	1.6515
5	बिहार	0.20	2.9767	1.1489
6	चंडीगढ़	0.05	0.6900	0.3459
7	छत्तीसगढ़	1.3619	4.1297	1.4002
8	दिल्ली	0.00	1.3621	1.4327
9	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	0.20	0.2300	2.05
10	गोवा	0.00	0.85	0.00
11	गुजरात	2.4111	3.1121	1.8697
12	हरियाणा	0.7552	2.3518	2.5818
13	हिमाचल प्रदेश	0.9952	1.8335	1.7004
14	जम्मू एवं कश्मीर	0.05	0.4050	0.1457
15	झारखंड	0.8933	0.6428	1.6029
16	कर्नाटक	1.415	3.6391	2.3453
17	केरल	1.5774	4.1917	2.8048
18	लद्दाख	-	-	0.00
19	लक्ष्यद्वीप	0.00	3.76	0.00
20	मध्य प्रदेश	0.45	3.9785	1.9767
21	महाराष्ट्र	0.3389	1.0752	4.4171
22	मणिपुर	0.4621	1.8119	2.5308
23	मेघालय	0.63	1.3490	1.2475
24	मिजोरम	0.09	1.865	0.5770
25	नागालैंड	0.82	1.02	1.2850
26	ओडिशा	0.00	3.742	0.2468
27	पुदुचरी	1.0529	2.4705	2.8416
28	पंजाब	1.3408	1.4675	4.8761
29	राजस्थान	0.6656	2.4134	1.8216
30	सिक्किम	0.23	1.2725	0.9199
31	तमिलनाडु	0.4096	3.3675	2.0354
32	तेलंगाना	1.4165	3.2775	1.4590
33	त्रिपुरा	0.6520	2.4250	1.00
34	उत्तर प्रदेश	1.8596	2.7868	2.9007
35	उत्तराखंड	1.0294	3.18	1.9667
36	पश्चिम बंगाल	0.9247	1.6368	2.2701

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-304

जिसका उत्तर 20 जुलाई, 2021 को दिया जाना है।

विद्युत संयंत्रों में उच्च स्तर की दक्षता

304. श्री संभाजी छत्रपती:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सरकार ने गर्मी के महीनों में ऊर्जा की उच्चतर मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त उपाय किए हैं और विद्युत संयंत्रों को उच्च स्तर की दक्षता लाने को कहा है;
- (ख) यदि हां, तो देश में विद्युत संयंत्रों द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;
- (ग) सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कौन से कदम उठाने का प्रस्ताव करती है कि उपभोक्ताओं पर वित्तीय भार को कम करने के लिए ऊर्जा की लागत को और अधिक न बढ़ाया जाए; और
- (घ) क्या सरकार का विभिन्न राज्यों में यथा प्रयोजन उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा की लागत पर कोई नियंत्रण है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : गर्मी के महीनों में ऊर्जा की अधिक मांग को पूरा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि विद्युत संयंत्र अधिकतम क्षमता के साथ संचालित हों, सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

- (i) कम मांग अवधि के लिए यूनिटों के सभी योजनाबद्ध शटडाउन को पुनर्योजित किया गया है।
- (ii) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन द्वारा बलात् कटौती की आवधिक समीक्षा की जाएगी।
- (iii) पर्याप्त क्षमता को अलग से रखा जाएगा और इसे हासिल करने के लिए उच्च मांग की अवधि के दौरान गैस आधारित उत्पादन के समक्रमिक बनाया जाएगा।
- (iv) केन्द्रीय उत्पादन कंपनियों, राज्य सरकार की उत्पादन कंपनियों, स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों, कोयला कंपनियों, रेलवे और कोयला मंत्रालय के साथ नियमित समन्वय बैठकें आयोजित की जाएंगी।
- (v) ताप विद्युत संयंत्रों की दक्षता में सुधार लाने के लिए, निष्पादन, प्राप्ति एवं व्यापार (पीएटी) स्कीम जिसे विशिष्ट ऊर्जा खपत को कम करने के लिए अभिकल्पित किया गया है, क्रियान्वित की जा रही है।

(ग) और (घ) : विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार, ऊर्जा की लागत की तार्किकता संबंधित उपयुक्त आयोगों द्वारा सुनिश्चित की जाती है। ऊर्जा की लागत और उपभोक्ताओं के लिए विद्युत दरें विभिन्न राज्यों में अलग-अलग होती हैं जिनका निर्धारण विद्युत क्रय लागत, सकल पारेषण एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों, प्रचालन एवं रखरखाव (ओएंडएम) व्यय, उपभोक्ता मिश्र आदि जैसे विभिन्न कारकों पर, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न होते हैं, निर्भर रहते हुए संबंधित राज्य आयोगों द्वारा किया जाता है। सरकार विद्युत की खरीद दक्षता में वृद्धि करने के उद्देश्य से विद्युत बाजारों की सुदृढ़ता को बढ़ावा दे रही है। थोक विद्युत और पारेषण सेवाओं की अत्यधिक प्रतिस्पर्धी दरें सुनिश्चित करने के लिए टैरिफ आधारित बोली को बढ़ावा दिया गया है। इसके अलावा, विद्युत संयंत्रों में कोयले के उपयोग और राष्ट्रीय स्तर पर मैरिट ऑर्डर डिस्पैच में लचीलेपन की शुरुआत से उत्पादन की लागत को नियंत्रित करने में सहायता मिली है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-305

जिसका उत्तर 20 जुलाई, 2021 को दिया जाना है।

सौभाग्य के अंतर्गत विद्युत आपूर्ति तक पहुँच

305. श्री देरेक ओब्राईन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के तहत सभी घरों तक ऊर्जा सुलभता उपलब्ध कराने के उद्देश्य की प्रगति और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या विद्युत जेनरेटरों की समस्या को सुलझाने के लिए कोई उपाय किए जा रहे हैं जो कोविड लॉकडाउन के चलते विद्युत के उपभोग में गिरावट के कारण उत्पन्न हुई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) क्या बिजली उपभोग अनुमानों के बाद, विभिन्न वर्गों में इसके उपभोग के प्रतिरूप के बारे में कोई आंकड़े हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) : भारत सरकार ने मार्च, 2019 तक देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी इच्छुक गैर-विद्युतीकृत घरों और शहरी क्षेत्रों में सभी इच्छुक गरीब घरों को विद्युत कनेक्शन प्रदान करने के लिए समग्र घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करने के उद्देश्य से अक्टूबर, 2017 में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना-सौभाग्य की शुरुआत की। दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार, राज्यों द्वारा छत्तीसगढ़ के वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों में 18,734 घरों को छोड़कर, सभी घर विद्युतीकृत हो गए थे। तत्पश्चात, सात राज्यों अर्थात् असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मणिपुर, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ने बताया कि दिनांक 31.03.2019 से पहले अभिचिन्हित लगभग 19.09 लाख गैर-विद्युतीकृत घर, जो पहले अनिच्छुक थे, लेकिन बाद में उन्होंने विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की है। इन सभी सात राज्यों ने दिनांक 31.03.2021 तक घरों के 100% विद्युतीकरण की सूचना दी है। सौभाग्य की शुरुआत से, दिनांक 31.03.2021 तक, कुल 2.817 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया है।

(ख) : कोविड-19 के कारण लगाए गए लॉकडाउन के दौरान विद्युत की कम खपत के कारण विद्युत क्षेत्र में लिक्विडिटी की समस्याओं को कम करने के लिए, भारत सरकार ने 13 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत

अभियान के भाग के रूप में एक लिक्विडिटी निषेचन स्कीम की घोषणा की। स्कीम के तहत, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) लिमिटेड और आरईसी लिमिटेड ने विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉमों) को रियायती दरों पर विशेष दीर्घावधिक ट्रांजिशन ऋण प्रदान किए ताकि 30.06.2020 तक विद्यमान केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसयू) उत्पादन (जेनको) और पारेषण कंपनियों (ट्रांसकोस), स्वतंत्र विद्युत उत्पादक (आईपीपी) और नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) उत्पादक विद्युत की खरीद से संबंधित अपनी बकाया देय राशियों को निपटाने में समर्थ हो सकें। दिनांक 30.06.2021 की स्थिति के अनुसार, आरईसी और पीएफसी ने लिक्विडिटी निषेचन स्कीम के अंतर्गत राज्यों को क्रमशः 1,35,537 करोड़ रुपये संस्वीकृत किए और 79,678 करोड़ रुपये संवितरित किए।

(ग) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा वार्षिक आधार पर विद्युत खपत का श्रेणी-वार डेटा एकत्रित और संकलित किया जाता है। वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए विद्युत की खपत और उनके वार्षिक वृद्धि के आंकड़े निम्नानुसार हैं:

श्रेणी	2017-18		2018-19		2019-20	
	एमयू में	वृद्धि %	एमयू में	वृद्धि %	एमयू में	वृद्धि %
घरेलू	273545	6.93	288243	5.37	308745	7.11
व्यावसायिक	93755	4.38	98228	4.77	106047	7.96
औद्योगिक विद्युत	468613	6.45	519196	10.79	532820	2.62
सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था	9669	2.87	9676	0.07	9432	-2.52
संकर्षण	17433	11.16	18837	8.06	19148	1.65
कृषि	199247	4.24	213409	7.11	211295	-0.99
सार्वजनिक जल कार्य और सीवेज पंपिंग	20872	7.52	22334	7.01	22987	2.93
विविध	40294	1.54	40048	-0.61	37612	-6.08
बिक्रित कुल ऊर्जा	1123427	5.87	1209972	7.70	1248086	3.15

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-306

जिसका उत्तर 20 जुलाई, 2021 को दिया जाना है।

कुडगी और वेल्लूर संयंत्रों का तापीय विद्युत आबंटन

306. श्री परिमल नथवानी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा ए पी डिस्कॉम के कुडगी और वेल्लूर संयंत्रों करीब के 300 मेगावाट के तापीय विद्युत आबंटन का अभ्यर्पण करने संबंधी भेजे गए प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी क्या कारण है; और

(घ) देश में विद्युत क्षेत्र की दशा में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : विद्युत परियोजनाएं अत्यधिक पूंजी प्रधान होती हैं और कंपनियों द्वारा उनकी स्थापना लाभार्थियों द्वारा विद्युत खरीद के लिए दीर्घकालिक प्रतिबद्धता देने के बाद ही की जाती हैं। ये प्रतिबद्धताएं विद्युत क्रय करारों (पीपीए) पर हस्ताक्षर के माध्यम से की जाती हैं। एनटीपीसी की कुडगी और वेल्लूर ताप विद्युत संयंत्रों के लिए निवेश पर निर्णय आंध्र प्रदेश सहित लाभार्थी राज्यों की यूटिलिटीयों द्वारा हस्ताक्षर किए गए विद्युत क्रय करारों के आधार पर लिया गया था। उत्पादन कंपनियों द्वारा किए गए ऐसे निवेश का उपयोग केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा निर्धारित टैरिफ वसूली तंत्र के अनुसार परियोजना के उपयोगी जीवनकाल के दौरान किया जाएगा।

यदि कोई लाभार्थी दीर्घकालिक पीपीए के प्रचालन के दौरान किसी भी समय क्षमता का उपयोग नहीं करना चाहता है, अभ्यर्पित की गई विद्युत अन्य जरूरतमंद राज्यों को दी जाती है और इस विद्युत के उपयोग के इच्छुक राज्यों को आबंटित की जाती है। विद्युत अभ्यर्पित करने के इच्छुक लाभार्थी का उत्तरदायित्व अर्थात् आबंटित विद्युत की मात्रा से संबंधित नियत प्रभारों का भुगतान उस समय तक जारी रहेगा जब तक कि पुनः

आबंटन किया जाता है और दूसरा लाभार्थी विद्युत लेने और नियत प्रभारों का भुगतान करने का उत्तरदायित्व लेता है।

(घ) : भारत सरकार ने सुधार आधारित एवं परिणाम संबद्ध, संशोधित वितरण क्षेत्र की स्कीम का अनुमोदन कर दिया है। यह स्कीम आपूर्ति अवसंरचना के सुदृढीकरण हेतु डिस्कॉमों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए निजी क्षेत्र के डिस्कॉमों को छोड़कर सभी वितरण कंपनियों (डिस्कॉमों)/विद्युत विभागों की प्रचालनात्मक दक्षताओं एवं वित्तीय संधारणीयता में सुधार की प्रयास करती है। यह सहायता पूर्व-निर्धारित मानदंडों को पूरा करने के साथ-साथ वित्तीय सुधारों से जुड़े सहमत मूल्यांकन फ्रेमवर्क के आधार पर मूल्यांकित डिस्कॉमों द्वारा बुनियादी न्यूनतम मानदंडों की उपलब्धि पर आधारित होगी। स्कीम का क्रियान्वयन प्रत्येक राज्य द्वारा तैयार कार्य योजना पर आधारित होगा।

इस स्कीम का परिव्यय 3,03,758 करोड़ रुपये होगा जिसमें केंद्रीय सरकार से 97,631 करोड़ रुपये की प्राक्कलित सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) सम्मिलित होगी। संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम का उद्देश्य पूर्व निर्धारित मानदंडों को पूरा करने तथा बुनियादी न्यूनतम मानदंड हासिल करने के आधार पर, आपूर्ति अवसंरचना के सुदृढीकरण के लिए डिस्कॉमों के परिणाम संबद्ध वित्तीय सहायता प्रदान करके प्रचालन दक्षता एवं वित्तीय संधारणीयता में सुधार करना है। यह स्कीम वर्ष 2025-26 तक जारी रहेगी। इस स्कीम के क्रियान्वयन को सुकर बनाने के लिए रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन (आरईसी) और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (पीएफसी) को नोडल अधिकरण के रूप में नामित किया गया है।

स्कीम के उद्देश्य निम्नानुसार हैं :

- i. एटी एंड सी हानियों को वर्ष 2024-25 तक कम करके 12-15 प्रतिशत तक अखिल-भारतीय स्तरों पर लाना।
- ii. वर्ष 2024-25 तक एसीएस-एआरआर अंतर को कम करके शून्य तक लाना।
- iii. आधुनिक डिस्कॉमों के लिए संस्थानिक सक्षमताएं विकसित करना।
- iv. वित्तीय संधारणीय एवं प्रचालन दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से गुणवत्तापूर्व, विश्वसनीय, तथा वहनीय विद्युत आपूर्ति में सुधार करना।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-307

जिसका उत्तर 20 जुलाई, 2021 को दिया जाना है।

तापीय विद्युत संयंत्रों की क्षमता

307. श्री महेश पोद्दार:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत पांच वर्षों के दौरान देश में निजी/सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा कितनी क्षमता के कितने तापीय विद्युत संयंत्र स्थापित किए गए हैं, और साथ ही कितने तापीय विद्युत संयंत्रों की क्षमता का विस्तार किया गया है;
- (ख) इन प्रयासों से देश में तापीय विद्युत उत्पादन क्षमता में कितनी वृद्धि प्राप्त कर ली गई है;
- (ग) उक्त अवधि के दौरान ऊर्जा उत्पादन के अन्य स्रोतों द्वारा ऊर्जा उत्पादन में कितनी वृद्धि प्राप्त कर ली गई है;
- (घ) वर्ष 2021-22 और 2022-23 की अवधि में विभिन्न स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन में कितनी वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित है; और
- (ङ) एनटीपीसी तथा एनएचपीसी जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की विद्युत उत्पादन कंपनियों ने इस अवधि में अपनी विशिष्टता वाले क्षेत्रों के अलावा अन्य तरीकों से कितनी बिजली का उत्पादन किया और उनके द्वारा उत्पादित बिजली की प्रति यूनिट लागत क्या रही?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) : पिछले पांच वर्षों के दौरान अर्थात् वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक देश में निजी/सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा 37733 मेगावाट (एमडब्ल्यू) क्षमता की कुल 47 ताप विद्युत परियोजनाएं स्थापित की गईं। इन 47 परियोजनाओं में से, 7255 मेगावाट क्षमता की 10 परियोजनाएं विस्तार/व्याप्ति के चरण में हैं।

(ख) : पिछले पांच वर्षों के दौरान संस्थापित ताप विद्युत उत्पादन क्षमता 210675 मेगावाट (31.03.2016 की स्थिति के अनुसार) से बढ़कर 234728 मेगावाट (31.03.2021 की स्थिति के अनुसार) हो गई है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान ताप विद्युत उत्पादन 994230 मिलियन यूनिट (एमयू) (वित्तीय वर्ष 2016-17) से बढ़कर 1032513 एमयू (वित्तीय वर्ष 2020-21) हो गया है।

(ग) : पिछले पांच वर्षों के दौरान अन्य स्रोतों से संस्थापित उत्पादन क्षमता 94487 मेगावाट (31.03.2016 की स्थिति के अनुसार) से बढ़कर 147423 मेगावाट (31.03.2021 की स्थिति के अनुसार) हो गई है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान अन्य स्रोतों से विद्युत उत्पादन 165910 एमयू (वित्तीय वर्ष 2016-17) से बढ़कर 202094 एमयू (वित्तीय वर्ष 2020-21) हो गया है।

(घ) : वर्ष 2022-23 के दौरान देश में विभिन्न स्रोतों से विद्युत उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है लेकिन वर्ष 2021-22 के लिए निर्धारित लक्ष्य निम्नानुसार है:

श्रेणी	परियोजना उत्पादन (एमयू)
तापीय	1155200
नाभिकीय	43020
जल	149544
कुल (परंपरागत)	1347764
नवीकरणीय	165000
कुल जोड़ (परंपरागत तथा नवीकरणीय)	1512764

(ङ) : (i) एनटीपीसी के लिए, उनके द्वारा उत्पादित विद्युत की प्रति इकाई लागत सहित उपरोक्त अवधि के दौरान अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से इनके द्वारा उत्पादित विद्युत की मात्रा का ब्यौरा निम्नानुसार है:

	वित्त वर्ष 20-21 के लिए एनटीपीसी स्टेशनों का औसत टैरिफ (रु./केडब्ल्यूएच)	2020-21 (एमयू)	2019-20 (एमयू)	2018-19 (एमयू)	2017-18 (एमयू)	2016-17 (एमयू)
सौर	5.67	1453.38	1371	1425	1268	531
जल	5.24	3221.40	3450	3014	3314	3225
पवन	4.19	83.94	103	98	42	-
लघु जल	5.04	19.32	13	14	3	-
कुल		4778.04	4937	4550	4627	3756

(ii) एनएचपीसी के लिए, उनके द्वारा उत्पादित विद्युत की प्रति इकाई लागत सहित उपरोक्त अवधि के दौरान अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से इनके द्वारा उत्पादित विद्युत की मात्रा का ब्यौरा निम्नानुसार है:

	प्रति यूनिट लागत (रु./केडब्ल्यूएच)	2020-21 (एमयू)	2019-20 (एमयू)	2018-19 (एमयू)	2017-18 (एमयू)	2016-17 (एमयू)
पवन	3.40 [नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण (आरईसी) तंत्र पर विद्युत क्रय करार (पीपीए) टैरिफ]	62.22	53.22	67.52	70.15	18.17
सौर	4.41 (पीपीए टैरिफ)	89.49	96.8	82.89	4.19	शून्य
कुल		151.71	150.02	150.41	74.34	18.17

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-308
जिसका उत्तर 20 जुलाई, 2021 को दिया जाना है।

विद्युत उपकरण विनिर्माण योजना

308. श्री महेश पोद्दार:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विद्युत उपकरण विनिर्माण योजना के तहत विनिर्माण क्षेत्र के रूप में चुने जाने हेतु राज्यों के लिए क्या विशिष्ट चयन मानदंड निर्धारित हैं;

(ख) क्या पात्र राज्यों का चयन नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से होगा;

(ग) पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे; और

(घ) क्या किसी राज्य विशेष में विद्युत आपूर्ति की लागत चयन प्रक्रिया को प्रभावित करेगी?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (घ) : विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों के संबंध में आयात निर्भरता को कम करने और आत्मनिर्भर भारत पहल को बढ़ावा देने के लिए, "विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण के लिए विनिर्माण क्षेत्रों की संस्थापना हेतु एक स्कीम" प्रस्तावित की गई है।

तीन वर्षों की अवधि में तीन विनिर्माण क्षेत्रों को स्थापित करने का प्रस्ताव है। इन विनिर्माण क्षेत्रों में सामान्य बुनियादी सुविधाएं (सीआईएफ) और सामान्य परीक्षण सुविधाएं (सीटीएफ) स्थापित करने के उद्देश्य से सहायता दी जाएगी।

इन विनिर्माण क्षेत्रों के लिए चयन मानदंडों को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-309

जिसका उत्तर 20 जुलाई, 2021 को दिया जाना है।

आंध्र प्रदेश में विद्युत परियोजनाएं

309. श्री वाई. एस. चौधरी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) आंध्र प्रदेश सहित देशभर में चल रही विद्युत परियोजनाओं तथा उनसे उत्पन्न विद्युत का ब्यौरा क्या है;
- (ख) विगत दो वर्षों में देशभर में इन परियोजनाओं के तहत संस्वीकृत, आवंटित और उपयोग में लाई गई निधि कितनी है;
- (ग) क्या कतिपय परियोजनाएं लागत/समय बढ़ने की समस्या का सामना कर रही हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी कारण क्या हैं; और
- (घ) भविष्य में इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (घ) : वर्तमान में आंध्र प्रदेश सहित देश में कुल 12,763.5 मेगावाट की 37 जल विद्युत परियोजनाएं (एचईपी) (25 मेगावाट से अधिक) हैं।

निर्माणाधीन जल-विद्युत परियोजनाओं के संबंध में स्वीकृत, आवंटित और उपयोग की गई निधि के विवरण के साथ-साथ लागत/समय आधिक्य के ब्यौरे अनुबंध-1 पर दिए गए हैं। ये परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं, इसलिए इन विद्युत परियोजनाओं में कोई उत्पादन नहीं हो रहा है।

ताप विद्युत परियोजनाओं के संबंध में, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 7 के अनुसार, "कोई भी उत्पादन कंपनी इस अधिनियम के तहत कोई उत्पादन कंपनी निर्दिष्ट ग्रिड से संयोजना से संबंधित तकनीकी मानकों को पूरा करती है तो इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति/अनुमति प्राप्त किए बिना किसी उत्पादन केंद्र की स्थापना, उसका प्रचालन और रख-रखाव कर सकती है। तदनुसार, ताप विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए सरकार की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।"

वर्तमान में आंध्र प्रदेश सहित देश में कुल 56,650 मेगावाट की 56 ताप विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। इनमें से, कुल 8,575 मेगावाट की क्षमता वाली 13 परियोजनाएं आंशिक रूप से चालू हैं और इनसे कुल 44,647 बीयू (अप्रैल-2020 से जून-2021 तक) विद्युत का उत्पादन किया गया है। पिछले दो वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं के तहत स्वीकृत, आवंटित और उपयोग की गई निधियों के विवरण के साथ-साथ लागत/समय आधिक्य का ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

जल-विद्युत और ताप-विद्युत परियोजनाओं के समय पर पूरा होने में विलंब के मुख्य कारण इस प्रकार हैं:

- कोविड महामारी के कारण कार्य का रुकना
- संविदात्मक मुद्दे
- रेलवे लाइन/रेलवे साइडिंग की तैयारी में कमी
- उपस्कर निर्माताओं द्वारा आपूर्ति में विलंब
- भूमि अधिग्रहण में विलंब
- स्थानीय मुद्दों के कारण कार्य में बाधा
- मुकदमेबाजी
- डिजाइन में बदलाव के कारण विलंब
- कोयला खदानें, कोयला लिंकेज मिलने में विलंब।
- भू-गर्भीय विस्मय (जल विद्युत परियोजनाओं के मामले में)

विद्युत परियोजनाओं को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए विद्युत मंत्रालय (एमओपी)/केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई/कदम उठाए गए हैं:

- विद्युत मंत्रालय/सीईए लगातार स्थल दौरों और विकासकर्ताओं एवं अन्य हितधारकों के साथ बातचीत के माध्यम से निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करता है। सीईए परियोजनाओं को चालू करने के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों की पहचान करने और उन्हें हल करने के लिए विकासकर्ताओं और अन्य हितधारकों के साथ समय-समय पर समीक्षा बैठकें करता है।
- अंतर-मंत्रालयी और अन्य बकाया मुद्दों के तेजी से समाधान के लिए बाधा क्षेत्रों की पहचान करने हेतु विद्युत मंत्रालय में नियमित समीक्षा भी की जाती है।
- केंद्रीय विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) परियोजनाओं के मामले में, परियोजना कार्यान्वयन मानदंडों/लक्ष्यों को संबंधित सीपीएसयू और विद्युत मंत्रालय के बीच हस्ताक्षरित वार्षिक समझौता ज्ञापन में शामिल किया जाता है और विद्युत मंत्रालय/सीईए में आयोजित सीपीएसयू की तिमाही निष्पादन समीक्षा बैठकों और अन्य बैठकों के दौरान इसकी निगरानी की जाती है।
- परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों को मुद्दों को हल करने में सहायता प्रदान करने के लिए परियोजना कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न मामलों को राज्य सरकार/जिला प्रशासन के साथ उठाया जा रहा है।
- राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) मुद्दों के समाधान में परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों को सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार/जिला प्रशासन के साथ मामले उठाए जाते हैं।
- जब भी आवश्यक हो, सक्रिय अभिशासन और समय पर कार्यान्वयन के लिए पीएमओ के प्रगति पोर्टल में भी मुद्दों की समीक्षा की जाती है।

क्रम सं.	परियोजना का नाम/ (संस्थापित क्षमता) /निष्पादन एजेंसी	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने का मूल समय	चालू होने का अनुमानित समय	समय आधिक्य (माह)	मूल लागत (करोड़ रु. में) (कीमत स्तर)	नवीनतम/अनुमानित लागत (करोड़ रु. में) (कीमत स्तर)	लागत आधिक्य (करोड़ रुपये में) (%)	किया गया व्यय (करोड़ रु. में)	
										2019-20	2020-21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	हिमाचल प्रदेश										
4	पारबती-II (4x200 = 800 मेगावाट) एनएचपीसी	1 2 3 4	200 200 200 200	2009-10 2009-10 2009-10 2009-10 (सितं., 09)	2022-23 2022-23 2022-23 2022-23 (मार्च, 23)	162	3919.59 (12/01)	9897.59 (04/18)	5978 (152.51)	599.16	989.94
5	उहल-III (3x33.33 = 100 मेगावाट) बीवीपीसीएल	1 2 3	33.33 33.33 33.33	2006-07 2006-07 2006-07 (मार्च, 07)	2022-23 2022-23 2022-23 (दिसं., 22)	189 189 189	431.56 (09/02)	1281.52 (12/12)	849.96 (196.95)	352.22	156.87
6	शौंगटम करचम (3x150 = 450 मेगावाट) एचपीपीसीएल	1 2 3	150 150 150	2016-17 2016-17 2016-17 (मार्च, 17)	2024-25 2024-25 2024-25 (मार्च, 25)	92 94 96	2807.83 (07/11)	2807.83 (07/11)	शून्य	172.15	230.12
7	बजोली होली 3x60= 180 मेगावाट मैसर्स जीएमआर बजोली होली	1 2 3	60 60 60	2018-19 2018-19 2018-19 (मई, 18)	2021-22 2021-22 2021-22 (सितं., 21)	40	1696.93 (12/11)	3094.00 (6/20)	1397.07 (82.33)	293	588
8	सोरांग (2x50 = 100 मेगावाट), एचएसपीपीएल	1 2	50 50	2011-12 2011-12 (नवं., 11)	2021-22 2021-22 (जुलाई, 21)	116	586.00 (04/2005)	586.00 (04/2005)	शून्य	91.08	177.83
9*	टंगनु रोमई-I (2x22 = 44 मेगावाट) टीआरपीजीपीएल	1 2	22 22	2014-15 2014-15 (जून, 14)	2024-25 2024-25 (कार्यो के पुनः शुरू होने से संबद्ध (4 वर्ष))	129	255.00 (01/07)	641.89 (2018)	386.89 (151.72)	@	@
10	टिडोंग-I 2x50 =100 मेगावाट एनएसएल टिडोंग (दिनांक 04.09.2018 से स्टेटक्राफ्ट इंडिया प्रा. लिमिटेड ने परियोजना में 100% इक्विटी अधिग्रहित कर ली है)	1 2	50 50	2013-14 2013-14 (दिसं., 13)	2022-23 2022-23 (जून, 22)	102	543.15 (01/07)	1472.00 (09/18)	928.85 (171.01)	616.26	78
11	कुटेहर 3x80=240 मेगावाट जेएसडब्ल्यू एनर्जी (कुटेहर)	1 2 3	80 80 80	2024-25 2024-25 2024-25	2025-26 2025-26 2025-26	12	1798.13 (09/2011)	2750 (03/2019)	951.87 (52.93)	#	413

क्रम सं.	परियोजना का नाम/ (संस्थापित क्षमता) /निष्पादन एजेंसी	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने का मूल समय	चालू होने का अनुमानित समय	समय आधिक्य (माह)	मूल लागत (करोड़ रु. में) (कीमत स्तर)	नवीनतम/अनुमानित लागत (करोड़ रु. में) (कीमत स्तर)	लागत आधिक्य (करोड़ रुपये में) (%)	किया गया व्यय (करोड़ रु. में)	
										2019-20	2020-21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	लि.			(नव., 24)	(नव., 25)						
12	लुहरी-I 2X80+2X25=210 मेगावाट (एसजेवीएन)	1 2 3 4	80 80 25 25	2025-26	2025-26	-	-	-	-	178.18	239.77
13	धौलासिद्ध (एसजेवीएन) 2x33=66 मेगावाट	1 2	33 33	2025-26	2025-26	-	-	-	-	#	#
	जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सरकार										
14	पकल दुल (4x250= 1000 मेगावाट) सीवीपीपीएल	1 2 3 4	250 250 250 250	2020-21 2020-21 2020-21 2020-21 (अप्रै., 20)	2025-26 2025-26 2025-26 2025-26 (जुला., 25)	} 63	8112.12 (03/13)	8112.12 (03/13)	शून्य	251.04	429.55
15	परनई 3x12.5= 37.5 मेगावाट जेकेएसपीडीसी	1 2 3	12.5 12.5 12.5	2017-18 2017-18 2017-18 (जन., 18)	2022-23 2022-23 2022-23 (मार्च, 23)	} 62	640.86 (पूर्णता लागत)	640.86 (पूर्णता लागत)	शून्य	32.07	17.95
16*	लोअर कलनई 2x24= 48 मेगावाट जेकेएसपीडीसी	1 2	24 24	2017-18 2017-18 (सितं., 17)	2025-26 2025-26 (कार्यों के पुनः शुरू होने से संबद्ध (4 वर्ष))	} 102	576.87 (12/12) (पूर्णता लागत)	576.87 (12/12) (पूर्णता लागत)	शून्य	@	@
17	किरू (4x156=624 मेगावाट) सीवीपीपीएल	1 2 3 4	156 156 156 156	2023-24 2023-24 2023-24 2023-24 (अग., 23)	2024-25 2024-25 2024-25 2024-25 (अग., 24)	} 12	4287.59 (09/14)	4287.59 (09/14)	शून्य	177.25	185.68
18*	रतले (4x205+1x30) = 850 मेगावाट आरएचपीपीएल/ एनएचपीसी	1 2 3 4 5	205 205 205 205 30	2017-18 2017-18 2017-18 2017-18 2017-18 (जन., 18)	2025-26 2025-26 2025-26 2025-26 2025-26 (कार्यों के पुनः शुरू होने से संबद्ध (5 वर्ष))	} 96	5281.94 (11/18)	5281.94 (11/18)	शून्य	@	@
	केरल										
19	पल्लीवसल 2x30 = 60 मेगावाट	1 2	30 30	2010-11 2010-11	2021-22 2021-22	} 129	222.00 (1999)	550.00 (2018)	328.00 (147.74)	53.31	39.25

क्रम सं.	परियोजना का नाम/ (संस्थापित क्षमता) /निष्पादन एजेंसी	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने का मूल समय	चालू होने का अनुमानित समय	समय आधिक्य (माह)	मूल लागत (करोड़ रु. में) (कीमत स्तर)	नवीनतम/अनुमानित लागत (करोड़ रु. में) (कीमत स्तर)	लागत आधिक्य (करोड़ रुपये में) (%)	किया गया व्यय (करोड़ रु. में)	
										2019-20	2020-21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	केएसईबी			(मार्च, 11)	(दिसं., 21)						
20	थोटियार (1x30+1x10)= 40 मेगावाट केएसईबी	1 2	30 10	2012-13 2012-13 (अप्रै., 12)	2021-22 2021-22 (दिसं., 21)	116	136.79 (2007)	280 (2018)	143.21 (104.69)	13.59	47.04
	मध्य प्रदेश										
21*	महेश्वर (10x40 = 400 मेगावाट) एसएमएचपीसीएल	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	2001-02 2001-02 2001-02 2001-02 2001-02 2001-02 2001-02 2001-02 2001-02 2001-02 (मार्च, 02)	2023-24 (कार्यों के पुनः शुरू होने से संबद्ध (दो वर्ष)	264	1569.27 (96-97)	8121.00 (2016-17)	6551.73 (417.50)	@	@
	महाराष्ट्र										
22*	कोयना लेफ्ट बैंक पीएसएस 2x40 = 80 मेगावाट डब्ल्यूआरडी, महा.	1 2	40 40	2014-15 2014-15 (अक्टू., 14)	2025-26 (कार्यों के पुनः शुरू होने से संबद्ध (4 वर्ष)	137	245.02 (1999)	379.78 (2014)	134.76 (54.99)	@	@
	पंजाब										
23	शाहपुरकंडी 3x33+3x33+1x8 =206 मेगावाट, सिंचाई विभाग और पीएसपीसीएल	1 2 3 4 5 6 7	33 33 33 33 33 33 8	2015-16 2015-16 2015-16 2015-16 2015-16 2015-16 2015-16	2023-24 2023-24 2023-24 2023-24 2023-24 2023-24 2023-24 (दिसं., 23)	93	1835.50 (04/08) (विद्युत संघटक)	1938.74 (02/18) (विद्युत संघटक)	103.24 (5.62)	332.85	1019.49
	सिक्किम										
24	तीस्ता स्टेज-VI (4x125 = 500 मेगावाट) लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लि. (एलटीएचपीएल) (परियोजना को एनएचपीसी	1 2 3 4	125 125 125 125	2012-13 2012-13 2012-13 2012-13 (जुला., 12)	2023-24 2023-24 2023-24 2023-24 (मार्च, 24)	140	5748.04 (07/2018)	5748.04 (07/2018)	शून्य	@	@

क्रम सं.	परियोजना का नाम/ (संस्थापित क्षमता) /निष्पादन एजेंसी	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने का मूल समय	चालू होने का अनुमानित समय	समय आधिक्य (माह)	मूल लागत (करोड़ रु. में) (कीमत स्तर)	नवीनतम/अनुमानित लागत (करोड़ रु. में) (कीमत स्तर)	लागत आधिक्य (करोड़ रुपये में) (%)	किया गया व्यय (करोड़ रु. में)	
										2019-20	2020-21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ने दिनांक 08.03.2019 से टेकओवर कर लिया है)										
25*	भास्मे (2x25.5 =51 मेगावाट) गति इंफ्रास्ट्रक्चर	1 2	25.5 25.5	2012-13 2012-13 (जून, 12)	2024-25 2024-25 (कार्यों के पुनः शुरू होने से संबद्ध (3 वर्ष))	153	408.50 (2012-13)	746.01 (03/18)	337.51 (82.62)	@	@
26*	रंगित-IV एचई परियोजना (3X40 = 120 मेगावाट) जेपीसीएल	1 2 3	40 40 40	2011-12 2011-12 2011-12 (जन., 12)	2025-26 2025-26 2025-26 (कार्यों के पुनः शुरू होने से संबद्ध (3-½ वर्ष))	170	726.17 (2011-12)	1692.60 (06/16)	966.43 (133.08)	@	@
27*	रंगित-II 2x33= 66 मेगावाट सिक्किम हाइड्रो पावर लि.	1 2	33 33	2015-16 2015-16 (अप्रै., 15)	2024-25 2024-25 (कार्यों के पुनः शुरू होने से संबद्ध (2-½ वर्ष))	119	496.44 (2011-12)	496.44 (2011-12)	शून्य	@	@
28*	पनन 4x75= 300 मेगावाट हिमगिरी हाइड्रो एनर्जी प्रा. लि.	1 2 3 4	75 75 75 75	2018-19 2018-19 2018-19 2018-19	2025-26 2025-26 2025-26 2025-26 (कार्यों के पुनः शुरू होने से संबद्ध (4-½ वर्ष))	84	1833.05 (2009)	2675.00 (2020)	841.95 (45.93)	@	@
	तमिलनाडु										
29	कुंडहा पीएसपी (फेज-I, फेज-II व फेज-III) (4x125=500 मेगावाट) टेनजेडको	1 2 3 4	125 125 125 125	2021-22 2021-22 2021-22 2021-22 (अग., 21)	2023-24 2023-24 2023-24 2023-24 (अप्रैल, 23)	20	1216.59 (2007-08)	1831.29 (2014)	614..7 (50.52)	79.39	42.13
	उत्तराखंड										
30*	लता तपोवन (3x57 = 171 मेगावाट) एनटीपीसी	1 2 3	57 57 57	2017-18 2017-18 2017-18 (अग., '17)	2025-26 2025-26 2025-26 (कार्यों के पुनः शुरू होने से संबद्ध (4 वर्ष))	103	1527.00 (07/12)	कार्य फिर से शुरू होने पर परिकलन किया जाएगा।	उपलब्ध नहीं	@	0.30
31	तपोवन विष्णुगाड (4x130 = 520 मेगावाट) एनटीपीसी	1 2 3 4	130 130 130 130	2012-13 2012-13 2012-13 2012-13	2023-24 2023-24 2023-24 2023-24	132	2978.48 (03/04)	5867.38 (04/19)	2888.90 (96.99)	527.07	425.99

क्रम सं.	परियोजना का नाम/ (संस्थापित क्षमता) /निष्पादन एजेंसी	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने का मूल समय	चालू होने का अनुमानित समय	समय आधिक्य (माह)	मूल लागत (करोड़ रु. में) (कीमत स्तर)	नवीनतम/अनुमानित लागत (करोड़ रु. में) (कीमत स्तर)	लागत आधिक्य (करोड़ रुपये में) (%)	किया गया व्यय (करोड़ रु. में)	
										2019-20	2020-21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				(मार्च, 13)							
32	टिहरी पीएसएस (4x250 = 1000 मेगावाट) टीएचडीसी	1 2 3 4	250 250 250 250	2010-11 2010-11 2010-11 2010-11 (जुला., 10)	2022-23 2022-23 2022-23 2022-23 (दिसं., 22)	149	1657.60 (12/05)	5024.35 (02/19)	3366.75 (203.10)	582.46	565.59
33	नेटवर मोरी (2x30 = 60 मेगावाट) एसजेवीएनएल	1 2	30 30	2021-22 2021-22 (दिसं., 21)	2022-23 2022-23 (जून, 22)	6	648.33 (10/2016)	947.89 (12/2020)	299.56 (46.20)	156.97	214.15
34	विष्णुगाड पीपलकोटि (4x111 = 444 मेगावाट) टीएचडीसी	1 2 3 4	111 111 111 111	2013-14 2013-14 2013-14 2013-14 (जून, 13)	2023-24 2023-24 2023-24 2023-24 (दिसं., 23)	126	2491.58 (03/08)	4397.80 (02/19)	1906.22 (76.50)	332.63	270.96
35	व्यासी 2x60=120 मेगावाट, यूजेवीएनएल	1 2	60 60	2014-15 2014-15 (दिसं., 14)	2022-23 2022-23 (अप्रैल, 22)	88	936.23 (02/10)	1581.01 (2019)	644.78 (68.86)	387.41	355.61
36*	फाटा ब्यूंग (2x38 = 76 मेगावाट), लैंको	1 2	38 38	2012-13 2012-13 (जून, 12)	2024-25 2024-25 (कार्यों के पुनः शुरू होने से संबंध (3 वर्ष))	153	520.00 (2013-14)	1132 (09/16)	612 (117.69)	@	@
	पश्चिम बंगाल										
37	रम्माम-III (3x40= 120 मेगावाट)	1 2 3	40 40 40	2019-20 2019-20 2019-20 (सितं., 19)	2022-23 2022-23 2022-23 (नवं., 22)	38	1381.84 (09/14)	1381.84 (09/14)	शून्य	70.11	142.20

टिप्पणी:- उल्लेख है कि लागत आधिक्य की गणना नवीनतम लागत (कीमत स्तर के साथ विकासकर्ताओं द्वारा सीईए को प्रदान की गई) और केंद्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित मूल लागत के बीच के अंतर के रूप में की गई है। अधिकांश मामलों में वर्तमान कीमत स्तर पर नवीनतम लागत विकासकर्ताओं द्वारा प्रदान नहीं की गई है।

* निर्माण रुका हुआ है।

@ वर्ष के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया क्योंकि निर्माण कार्य रुका हुआ है।

परियोजना वर्ष के दौरान निर्माणाधीन नहीं थी। निर्माण बाद के वर्ष में शुरू हुआ।

राज्य सभा में दिनांक 20.07.2021 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 309 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

निर्माणाधीन ताप-विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य	कार्यान्वयन एजेंसी	परियोजना का नाम	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	नवीनतम पूर्व परीक्षण/ सीओडी	अनुमानित पूर्व परीक्षण/सीओडी (परियोजना प्राधिकरण द्वारा दिया गया)	मूल लागत	नवीनतम लागत (करोड़ रुपये)	वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय	वर्ष 2020-21 के दौरान व्यय	लागत आधिक्य (%)	समय आधिक्य (माह)
क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ	ञ	ट	ठ	(ट-ञ)/ञ	(ज-छ)
केंद्रीय क्षेत्र													
1	बिहार	एनटीपीसी	बाढ़ एसटीपीपी-I	यू-1	660	फर.-10	जुलाई-21	8693	21312.1	1502.47	1123.15	145.16%	137.00
		एनटीपीसी		यू-2	660	दिसं.-10	मार्च-22						135.00
		एनटीपीसी		यू-3	660	अक्टू.-11	जुलाई-23						141.00
2	बिहार	एनटीपीसी और रेलवे का जेवी	नबी नगर टीपीपी	यू-4	250	जून-14	अग.-21	5352.51	9996.59	399.42	356.48	86.76%	86.00
3	बिहार	एनपीजीसीएल	न्यू नबी नगर टीपीपी	यू-3	660	मई-18	नव.-21	13624.02	17304.3	1373.21	1243.28	27.01%	42.00
4	झारखंड	एनटीपीसी	नॉर्थ करणपुरा एसटीपीपी	यू-1	660	जून-18	दिसं.-21	14367	15164.05	1762.62	1243.28	5.55%	42.00
		एनटीपीसी		यू-2	660	दिसं.-18	जून-22						42.00
		एनटीपीसी		यू-3	660	जून-19	दिसं.-22						42.00
5	ओडिशा	एनटीपीसी	दार्लीपल्ली एसटीपीपी	यू-2	800	दिसं.-18	जुलाई-21	12532.44	13740.53	1824.56	775.27	9.64%	31.00
6	तेलंगाना	एनटीपीसी	तेलंगाना एसटीपीपी स्टे.-I	यू-1	800	मई-20	मार्च-22	10599	11811	2599.45	1308.35	11.44%	22.00
		एनटीपीसी		यू-2	800	नव.-20	जुलाई-22						20.00
7	उत्तर प्रदेश	एनएलसी और यूपीआरवीयूएनएल का जेवी	घाटमपुर टीपीपी	यू-1	660	मई-20	नव.-21	17237.8	17237.8	3525.2	2253.18	0.00%	18.00
		एनएलसी और यूपीआरवीयूएनएल का जेवी		यू-2	660	नव.-20	मार्च-22						16.00
		एनएलसी और यूपीआरवीयूएनएल का जेवी		यू-3	660	मई-21	जुलाई-22						14.00
8	राजस्थान	एनएलसी	बरसिंगसर टीपीपी एक्सटें.	यू-1	250			2112.59	2112.59	-	-	0.00%	0.00
9	राजस्थान	एनएलसी	बिथोक टीपीपी	यू-1	250			2196.3	2196.3	-	-	0.00%	0.00
10	झारखंड	एनटीपीसी और झारखंड बिद्युत वितरण निगम लि. का जेवी	पतरातु एसटीपीपी	यू-1	800	जन.-22	अग.-23	17112	18668	1391.99	1813.96	9.09%	19.00
		एनटीपीसी और झारखंड बिद्युत वितरण निगम लि. का जेवी		यू-2	800	जुलाई-22	फर.-24						19.00
		एनटीपीसी और झारखंड बिद्युत वितरण निगम लि. का जेवी		यू-3	800	जन.-23	अग.-24						19.00
11	ओडिशा	एनटीपीसी और भारतीय इस्पात प्राधिकरण (सेल) का जेवी	राऊरकेला पीपी-II एक्सपेंशन	यू-1	250	अक्टू.-18	अक्टू.-21	1885.13	1885.13	354.67	249.47	0.00%	36.00
12	उत्तर प्रदेश	टीएचडीसी	खुर्जा एससीटीपीपी	यू-1	660	जुलाई-23	जन.-24	11089.42	11089.42	439.95	89.34	0.00%	6.00
		टीएचडीसी		यू-2	660	जन.-24	जुलाई-24						6.00
13	बिहार	एसजेवीएन	बक्सर टीपीपी	यू-1	660	जुलाई-23	जुलाई-23	10439.09	10439.09	344.5	1100.05	0.00%	-1.00
		एसजेवीएन		यू-2	660	जन.-24	जन.-24						-1.00
राज्य क्षेत्र													
1	आंध्र प्रदेश	एपजेंको	डॉ. नारला टाटा राव टीपीएस स्टे.-V	यू-1	800	अप्रैल-19	अक्टू.-21	5515	7586	1032	585	37.55%	30.00

2	आंध्र प्रदेश	एएसजैको	श्री दामोदरम संजीव्याह टीपीपी स्टे.-II	यू-1	800	जून-19	अग.-21	6034	7922.72	1062.04	885.35	31.30%	26.00
3	राजस्थान	आरआरवीयूएनएल	सूरतगढ़ एससीटीपीपी	यू-8	660	नव.-16	जुलाई-21	7920	10881.6	1102.71	1056.18	37.39%	56.00
4	तेलंगाना	टीएसजैको	भद्रादरी टीपीपी	यू-4	270	सितं.-17	अग.-21	5044	9962.32	1759.27	1066.95	97.51%	47.00
5	तमिलनाडु	टीएसजैको	एन्नोर एक्सपें. एससीटीपीपी	यू-1	660			4956	5421.38	-	-	9.39%	0.00
6	तमिलनाडु	टेनजेडको	एन्नोर एससीटीपीपी	यू-1	660	नव.-17	मार्च-23	9800	9800	710.6	407.38	0.00%	64.00
		टेनजेडको		यू-2	660	जन.-18	अप्रैल-23						63.00
7	तमिलनाडु	टेनजेडको	नॉर्थ चेन्नई टीपीपी स्टे.-III	यू-1	800	अप्रैल-19	फर.-22	6376	8722.86	2090.62	928.95	36.81%	34.00
8	तमिलनाडु	टेनजेडको	अपर सुपर क्रिटिकल टीपीपी	यू-1	800	फर.-21	मई-24	12778	12778	924.32	366.61	0.00%	39.00
		टेनजेडको		यू-2	800	फर.-21	जुलाई-24						41.00
9	उत्तर प्रदेश	यूपीआरवीयूएनएल	हरदुआगंज टीपीएस एक्सपें.-II	यू-1	660	जन.-20	सितं.-21	4826.49	5500.98	1339.22	775.91	13.97%	20.00
10	कर्नाटक	केपीसीएल	येलहांका सीसीपीपी	जीटी+एसटी	370	जुलाई-18	नव.-21	1571.18	2055.23	171.41	219.28	30.81%	40.00
11	उत्तर प्रदेश	यूपीआरवीयूएनएल	जवाहरपुर एसटीपीपी	यू-1	660	दिसं.-20	दिसं.-22	10566.27	10566.27	2286	1211.45	0.00%	24.00
		यूपीआरवीयूएनएल		यू-2	660	अप्रैल-21	जून-23						26.00
12	उत्तर प्रदेश	यूपीआरवीयूएनएल	ओबरा-सी एसटीपीपी	यू-1	660	दिसं.-20	जन.-23	10416	10416	1960	1560.21	0.00%	25.00
		यूपीआरवीयूएनएल		यू-2	660	अप्रैल-21	मई-23						25.00
13	तेलंगाना	टीएसजैको	यादादरी टीपीएस	यू-1	800	फर.-23	फर.-23	29965	29965	2935.56	4427.54	0.00%	0.00
		टीएसजैको		यू-2	800	मार्च-23	मार्च-23						0.00
		टीएसजैको		यू-3	800	अप्रैल-23	अप्रैल-23						0.00
		टीएसजैको		यू-4	800	मई-23	मई-23						0.00
		टीएसजैको		यू-5	800	जून-23	जून-23						0.00
14	उत्तर प्रदेश	यूपीआरवीयूएनएल	पंकी टीपीएस एक्सटें.	यू-1	660	सितं.-21	सितं.-22	3715	3715	837.26	1131.47	0	12.00
15	तमिलनाडु	टेनजेडको	उडनगुडी एसटीपीपी स्टेज-I	यू-1	660	मार्च-21	मई-22	13076.70	13076.70	654.76	1778.57	0.00%	14.00
		टेनजेडको		यू-2	660	मई-21	जुलाई-22	5	5				14.00
16	महाराष्ट्र	महाजैको	भुसावल टीपीएस	यू-6	660	मई-22	नव.-22	4550.98	4550.98	584.06	2025.32	0.00%	6.00
17	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीपीडीसीएल	सागरदिघी थर्मल पावर प्लांट फेज-III	यू-1	660	जन.-24	जन.-24	3862.65	4567.32	56.25	362.47	18.24%	0.00
निजी क्षेत्र													
1	आंध्र प्रदेश	ईस्ट कोस्ट एनर्जी लि.	भवानापडु टीपीपी फेज-I	यू-1	660			6571.94	9343.15	-	-	42.17%	उ. नहीं
		ईस्ट कोस्ट एनर्जी लि.		यू-2	660								उ. नहीं
2	आंध्र प्रदेश	मीनाक्षी एनर्जी प्रा. लि.	थामिनापट्टनम टीपीपी स्टेज-II	यू-3	350			5005	5414.4	-	-	8.18%	उ. नहीं
		मीनाक्षी एनर्जी प्रा. लि.		यू-4	350								उ. नहीं
3	छत्तीसगढ़	केएसके महानदी पावर कंपनी लि.	अकलतारा टीपीपी	यू-4	600			16190	27080	-	-	67.26%	उ. नहीं
		केएसके महानदी पावर कंपनी लि.		यू-5	600								उ. नहीं
		केएसके महानदी पावर कंपनी लि.		यू-6	600								उ. नहीं
4	बिहार	(जस इंफ्रा. टीपीपी)/ जेआईसीपीएल	सिरिया टीपीपी	यू-1	660			11120	11120	-	-	0.00%	उ. नहीं
		(जस इंफ्रा. टीपीपी)/ जेआईसीपीएल		यू-2	660								उ. नहीं
		(जस इंफ्रा. टीपीपी)/ जेआईसीपीएल		यू-3	660								उ. नहीं
		(जस इंफ्रा. टीपीपी)/ जेआईसीपीएल		यू-4	660								उ. नहीं
5	छत्तीसगढ़	एसकेएस पावर जेनरेशन (छत्तीसगढ़) लि.	बिंजकोट टीपीपी	यू-3	300			5058	7940	-	-	56.98%	उ. नहीं
		एसकेएस पावर जेनरेशन (छत्तीसगढ़) लि.		यू-4	300								उ. नहीं

6	छत्तीसगढ़	एलएपी प्रा. लि.	लैंको अमरकंटक टीपीपी-II	यू-3	660			6886	10815.24	-	-	57.06%	उ. नहीं
		एलएपी प्रा. लि.		यू-4	660								उ. नहीं
7	छत्तीसगढ़	एथेना छत्तीसगढ़ पावर लि.	सिंघीतराई टीपीपी	यू-1	600			6200	8443.79	-	-	36.19%	उ. नहीं
		एथेना छत्तीसगढ़ पावर लि.		यू-2	600								उ. नहीं
8	छत्तीसगढ़	वंदना विद्युत	सलोरा टीपीपी	यू-2	135			1458.44	2386.89	-	-	63.66%	उ. नहीं
9	छत्तीसगढ़	वीसा पावर लि.	देवेरी (वीसा) टीपीपी	यू-1	600			2618.7	3930	-	-	50.07%	उ. नहीं
10	झारखंड	कारपोरेट पावर लि.	मंत्रिषी ऊषा टीपीपी फेज-I	यू-1	270			2900	3120	-	-	7.59%	उ. नहीं
		कारपोरेट पावर लि.		यू-2	270								उ. नहीं
11	झारखंड	कारपोरेट पावर लि.	मंत्रिषी ऊषा टीपीपी फेज-II	यू-3	270			3182	3182	-	-	0.00%	उ. नहीं
		कारपोरेट पावर लि.		यू-4	270								उ. नहीं
12	झारखंड	एस्सार पावर लि.	टोरी टीपीपी फेज-I	यू-1	600			5700	5700	-	-	0.00%	उ. नहीं
		एस्सार पावर लि.		यू-2	600								उ. नहीं
13	झारखंड	एस्सार पावर लि.	टोरी टीपीपी फेज-II	यू-3	600			2500	2500	-	-	0.00%	उ. नहीं
14	महाराष्ट्र	रतन इंडिया पावर प्रा. लि.	अमरावती टीपीपी फेज-II	यू-1	270			6646	6646	-	-	0.00%	उ. नहीं
		रतन इंडिया पावर प्रा. लि.		यू-2	270								उ. नहीं
		रतन इंडिया पावर प्रा. लि.		यू-3	270								उ. नहीं
		रतन इंडिया पावर प्रा. लि.		यू-4	270								उ. नहीं
		रतन इंडिया पावर प्रा. लि.		यू-5	270								उ. नहीं
15	महाराष्ट्र	एलवीपी प्रा. लि.	लैंको विदर्भा टीपीपी	यू-1	660			6936	10433	-	-	50.42%	उ. नहीं
		एलवीपी प्रा. लि.		यू-2	660								उ. नहीं
16	महाराष्ट्र	रतन इंडिया पावर प्रा. लि.	नासिक टीपीपी फेज-II	यू-1	270			6789	6789	-	-	0.00%	उ. नहीं
		रतन इंडिया पावर प्रा. लि.	रतन इंडिया नासिक पावर प्रा. लि. बीटीजी-भेल	यू-2	270								उ. नहीं
		रतन इंडिया पावर प्रा. लि.		यू-3	270								उ. नहीं
		रतन इंडिया पावर प्रा. लि.		यू-4	270								उ. नहीं
		रतन इंडिया पावर प्रा. लि.		यू-5	270								उ. नहीं
17	महाराष्ट्र	जिनभुविष पावर जेनरेशन प्रा. लि.	बिजोरा घनमुख टीपीपी	यू-1	300			3189	3450	-	-	8.18%	उ. नहीं
		जिनभुविष पावर जेनरेशन प्रा. लि.		यू-2	300								उ. नहीं
18	महाराष्ट्र	शौरपुर पावर प्रा. लि.	शौरपुर टीपीपी, शौरपुर पावर प्रा. लि. - भेल	यू-2	150			2413	2413	-	-	0.00%	उ. नहीं
19	मध्य प्रदेश	डी.बी. पावर (एमपी) लि.	गोरजी टीपीपी	यू-1	660			3941	3941	-	-	0.00%	उ. नहीं
20	ओडिशा	इंड बराथ	इंड बराथ टीपीपी (ओडिशा)	यू-2	350			3150	4254	-	-	35.05%	उ. नहीं
21	ओडिशा	केवीके नीलांचल	केवीके नीलांचल टीपीपी	यू-1	350			4990	6000	-	-	20.24%	उ. नहीं
		केवीके नीलांचल		यू-2	350								उ. नहीं
		केवीके नीलांचल		यू-3	350								उ. नहीं
22	ओडिशा	लैंको बाबंध	लैंको बाबंध टीपीपी	यू-1	660			6930	10430	-	-	50.51%	उ. नहीं
		लैंको बाबंध		यू-2	660								उ. नहीं
23	ओडिशा	एमपीसीएल	मलीब्राहमणी टीपीपी	यू-1	525			5093	6330	-	-	24.29%	उ. नहीं
		एमपीसीएल		यू-2	525								उ. नहीं
24	तमिलनाडु	आईबीपीआईएल	तूतीकोरिन टीपीपी	यू-1	660			3595	3595	-	-	0.00%	उ. नहीं
25	तमिलनाडु	एसईपीसी	तूतीकोरिन टीपीपी स्टेट-IV	यू-1	525	अक्तू-18	जुलाई-21	3514	3808.73	812.56	561.55	8.39%	33.00
26	पश्चिम बंगाल	इंडिया पावर कारपोरेशन (हल्दिया)	हिरनमये एनर्जी लि.	यू-3	150			2656	3307	-	-	24.51%	उ. नहीं
